



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082023-248216  
CG-DL-E-22082023-248216

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3583]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945

No. 3583]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2023

का.आ. 3743(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ड.) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यक्षीन और अगले आदेशों तक, नीचे सारणी में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार, प्लॉट नंबर ग्राम पुकपुरई, जिला लुंगलेई, मिजोरम की भूमि अर्जन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन "समुचित सरकार" की शक्तियों का प्रयोग और इसके कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात :

सारणी

स्थान	कुल क्षेत्रफल एकड़ में
ग्राम पुकपुरई, जिला लुंगलेई, मिजोरम	2.906

[फा. सं. 13014/02/2020- एलआरडी]

सोनमणिबोरा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2023

**S.O. 3743(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause(e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby notifies that the Ministry of Defence shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the “Appropriate Government” under the said Act and the rules made thereunder, in relation to the acquisition of land at Pukpui Village, Lunglei District, Mizoram as per details mentioned in the Table below, namely :

**TABLE**

<b>Location</b>	<b>Total area in acres</b>
Pukpui Village, Lunglei District, Mizoram	2.906

[F. No. 13014/02/2020-LRD]

SONMONI BORAH, Jt. Secy.